FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0290 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/12/2024 17:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
5	भा दं सं 1860	409
6	भा दं सं 1860	420
7	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/08/2022 **Date To (दिनांक तक):** 25/08/2022
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:30 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/12/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/12/2024 17:24:17 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
      (b)**Address(पता):** JDA JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ALOK CHANDERA SHARMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): PRAKESH CHANDERA SHARMA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1976 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JAIPUR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JAIPUR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SATENDRA SINGH MEENA		पिता:KISHAN SINGH MEENA	1. 207,BEHIND RAMJILAL OLD UNION,SHIV COLONY,KARAULI,RAJASTHAN
2	SIDDHRATH MEENA AND OTHERA		पिता:RAM PARSAD MEENA	1. 67,MALVIYA NAGAR KE PASS JAGATPURA,PREM NAGAR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	लगभग एक करोड से अधिक	1,00,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात इस प्रकार है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की लोहा मण्डी योजना में विद्युतीकरण के नाम पर चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाया तथा नियमो की परवाह किये बगैर लोहा मण्डी स्कीम में माप पुस्तिका में 5.70 करोड रूपये का सामान खरीदना दर्शाया गया परन्तु मौके पर 4.66 करोड रूपये का ही सामान मिला तथा एक करोड रूपये से अधिक का सामान मौके पर नहीं मिला, जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण इसका भुगतान पहले ही कर चुका है। उक्त विद्युत कार्य में हुई अनियमितताओं के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की विद्युत शाखा के सहायक अभियन्ता, श्री सत्येन्द्र सिंह मीणा एवं सहायक अभियन्ता श्री सिद्धार्थ मीणा को जयपुर विकास प्राधिकरण की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर निलम्बित भी किया गया । अतः विद्युत कार्यों से संबंधित उक्त अभियन्ताओं के विरूद्ध पद के दुरूपयोग कर राजकीय सम्पत्ति/राशि का गबन तथा राजस्व हानि पहुंचाने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। इसी योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण के संबंधित जोन के अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों द्वारा काश्तकारो को 25 फीसदी विकसित भूमि देने के नाम पर 40 से 50 करोड रूपये की रिश्वत तथा जमीने प्राप्त करना भी सामने आया है। आरोपी श्री सत्येन्द्र सिंह मीणा, सहायक अभियन्ता, (नगरीय विकास विभाग) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर एवं श्री सिद्धार्थ मीणा सहायक अभियन्ता (नगरीय विकास विभाग) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों एवं अन्य के विरूद्ध अपने-अपने पदो का दुरूपयोग कर आपस में मिली भगत कर षडयन्त्र रचकर अपनी चहेती फर्मो को लाभ एवं राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उक्त आरोपों पर विस्तृत जांच हेतु अन्तर्गत धारा 7(C) 12, 13 (1)(a) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 409, 420, 120बी भा०द०सं० में बिना नम्बर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय, (भूपेन्द्र(अति० पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नगर-प्रथम, जयपुर।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7(C) 12, 13 (1) (a) सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 409, 420, 120बी भा०दं०सं० में आरोपीगण 1-श्री सत्येन्द्र सिंह मीणा, सहायक अभियन्ता, (नगरीय विकास विभाग) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर एवं 2-श्री सिद्धार्थ मीणा सहायक अभियन्ता (नगरीय विकास विभाग) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों एवं अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री बलराम सिंह मीना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर नगर-चतुर्थ,जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 104 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1600-03 दिनांक 13-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नगर-प्रथम, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** BALRAM SINGH MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]2/2024 1[illegible]

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

[redacted]

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1972				
2	Male	22/05/1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

[redacted]